



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: 671/2016-17/30
सचिव,
यदुवंशी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
सेहली, बुहाना (राज.)

दिनांक: 25/10/16

विषय:- चयन समिति द्वारा व्याख्याता पद के अनुमोदन क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका पत्र क्रमांक 671 दिनांक 18.10.2016 के संदर्भ में कुलपति महोदया के आदेश दिनांक 10.06.2016 की अनुपालना में आपको सूचित किया जाता है कि निम्न व्याख्याताओं की हैण्डबुक पार्ट II वोल्यूम I स्टेच्यूट 26(5)B व अध्यादेश 65 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता पूरी होने के कारण एवं चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है:-

क्र.स.	व्याख्याता का नाम
1	श्री कर्मवीर
2	श्री प्रवीण ग्रेवल
3	श्रीमती सुरेश कुमारी
4	श्रीमती संगीता यादव
5	श्रीमती रचना
6	श्री सुरेश कुमार
7	श्री मंदीप सिंह
8	श्रीमती इंदरा
9	श्री मेघराम मीणा
10	श्री बबरू भान
11	श्री बंजरग लाल
12	श्री नरेन्द्र देव
13	श्री राजीव कुमार
14	श्री किशन लाल
15	श्री महेश कुमार
16	श्री रामकिशन
17	श्रीमती सुनारीटा यादव
18	सुश्री प्रियंका
19	श्रीमती सीमा रानी
20	श्रीमती मोनीका सिंह
21	श्री अनुराग सिंह

22	श्री उदय सिंह
23	श्री प्रितम सिंह
24	श्री रामयश विश्वकर्मा
25	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
26	श्री अभनेन्द्र सिंह
27	श्री अरविन्द कुमार
28	श्रीमती सुदेश
29	श्री ललित कुमार
30	श्री रोहिन शर्मा
31	श्रीमती प्रमिला
32	श्री कशमीर सिंह

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचना असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।


कुलसचिव



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक:- 7177

दिनांक: 21-10-16


सचिव,
यदुवंशी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
सैहली, बुहाना, झुन्झुनू।

विषय:- प्राचार्य पद पर डॉ. जीत नारायण यादव की नियुक्ति का अनुमोदन करने के
क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका पत्र क्रमांक 664 दिनांक 04.08.2016 के सन्दर्भ में
कुलपति महोदया के आदेश दिनांक 10.06.2016 की अनुपालना में आपको सूचित किया जाता है
कि हेंडबुक पार्ट II वोल्यूम I स्टेच्यूट 26(5)A व अध्यादेश 65 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के
आधार पर डॉ. जीत नारायण यादव का प्राचार्य पद पर अनुमोदन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि महाविद्यालय/प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत
किये गये दस्तावेज/सूचना असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन स्वतः
ही निरस्त माना जावेगा।


कुलसचिव